

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संख्या-11/आ०2-10109/2025- **1895**

पटना, दिनांक:- **30/9/26**

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा अन्तर्गत विभागीय कार्यों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, जलापूर्ति योजनाओं के संचालन हेतु विद्युत कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किये गये विपत्रों के विरुद्ध काफी कम मात्रा में विद्युत विपत्रों का भुगतान करवाने एवं CGRC पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का ससमय निराकरण नहीं करवाने के आरोप में श्री बालमुकुन्द कुमार, तत० कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकन एवं योजना प्रमंडल संख्या-09, पटना के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-1543, दिनांक-11.08.2026 द्वारा उनसे एक पक्ष के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, परन्तु अभी तक उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित नहीं किया गया है।

02. विभाग द्वारा निदेशित किये जाने के बावजूद निर्धारित समय-सीमा के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने से स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा स्वयं के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्रवाई को विलंबित करने का प्रयास किया जा रहा है।

03. ज्ञातव्य हो कि श्री कुमार 30.06.2026 तक कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा के पद पर पदस्थापित थे। दिनांक-01.09.2025 की बकाया विवरणी के संयुक्त सत्यापन के आधार पर लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा से संबंधित योजनाओं(हर घर नल का जल सहित) के संवेदकों/एजेंसियों के विरुद्ध कुल 1300.67 लाख रुपये की राशि के विरुद्ध 30 जून 2026 तक मात्र 341.16 लाख रुपये का ही भुगतान किया गया था एवं 959.51 लाख रुपये का भुगतान संबंधित विद्युत कम्पनी को किया जाना शेष था। इतनी बड़ी राशि के प्रमंडल अन्तर्गत विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु लंबित रहने से स्पष्ट है कि श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किये जाने के बावजूद उनकी कार्यशैली में किसी प्रकार का सुधार नहीं आया है एवं उनके द्वारा विद्युत विपत्रों का संवेदकों से ससमय भुगतान करवाने में लापरवाही एवं शिथिलता बरती गयी है।

04. CGRC पोर्टल पर प्रमंडलवार लंबित आवेदनों(15.08.2025 से 30.06.2026) के निष्पादन से संबंधित अद्यतन स्थिति से विदित होता है कि उक्त अवधि के दो आवेदनों का निष्पादन अब तक नहीं किया गया है। दूसरी ओर CGRC पोर्टल से प्राप्त जून, 2026 माह के प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि कुल प्राप्त 1979 आवेदनों में से 75 आवेदनों का निष्पादन लंबित था, जबकि उनमें से 60 आवेदन 30 दिनों से ज्यादा अवधि से निष्पादन हेतु लंबित था। विभागीय मानकों के अनुसार जिन शिकायतों में साधारण मरम्मत की आवश्यकता होती है, उन आवेदनों का निष्पादन 12-24 घंटे के अंदर एवं असाधारण मरम्मत से संबंधित मामलों का निष्पादन 3-5 दिनों

के अंदर किया जाना है। 30 दिनों से अधिक अवधि से निष्पादन हेतु लंबित 60 आवेदनों से विदित होता है कि श्री कुमार के स्तर से अपने क्षेत्राधीन योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तथा CGRC पोर्टल पर लंबित आवेदनों के निष्पादन में घोर लापरवाही बरती गयी है।

05. उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री कुमार के स्तर से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं शिथिलता बरती गयी है। अतएव समीक्षोपरांत बिहार के राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि अभिकथित आरोपों के लिए श्री कुमार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार के राज्यपाल उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अभय कुमार सिंह, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

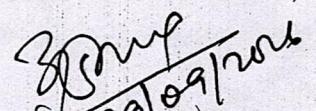
06. आरोपित श्री कुमार, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

07. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति एवं आरोप पत्र(अनुलग्नक सहित) श्री बालमुकुन्द कुमार, तत्काल कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकन एवं योजना प्रमंडल संख्या-09, पटना, जाँच संचालन पदाधिकारी श्री अभय कुमार सिंह, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा को दी जाय।

08. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

✓ 
(अरविन्द कुमार)
अपर सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-10109/2025- 1895

पटना, दिनांक- 30/9/26

प्रतिलिपि:-वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ (अरविन्द कुमार)

अपर सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-10109/2025- 1895

पटना, दिनांक- 30/9/26

प्रतिलिपि:-श्री अभय कुमार सिंह, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा/श्री बालमुकुन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकन एवं योजना प्रमंडल संख्या-09, पटना को आरोप पत्र की प्रति अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ (अरविन्द कुमार)

अपर सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-10109/2025- 1895

पटना, दिनांक- 30/9/26

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/आईटी मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव

31/9/26